

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 31st December 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम : Mr. R. K. CHATURVEDI
2. वर्तमान धारित पद : निरीक्षक नाप-तौल
3. वर्तमान वेतन : 57400
- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/01/2025

उस जिले उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किस नाम पर धारित है और शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्ज न की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश, दतिया, सेवडा, सेवडा, ग्रामीण संपत्ति, उचाड, ग्राम उचाड तहसील सेवडा जिला दतिया , 475682	भूमि, कृषि भूमि	75 बीघा	पैतृकि संपत्ति	पैतृकि संपत्ति	विरासत 05/10/1994 पैतृकि संपत्ति	7,86,385 रुपये	पैतृकि संपत्ति
मध्य प्रदेश, ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर, शहरी संपत्ति, ग्वालियर, लवेडपुरा नाका चंद्रवदनी लश्क र ग्वालियर , 474001	गृह , मकान	92.903 वर्गमीटर	लगभग 30 लाख 50 हजार रुपये	पैतृकि संपत्ति	विरासत 23/06/2009 उत्तराधिकारी	1,44,000 रुपये	पैतृकि संपत्ति
मध्यप्रदेश, शिवपुरी, शिवपुरी, शिवपुरी, शहरी संपत्ति, शिवपुरी, नोहरीकला नेशनल हाइवे पटवारी हल्का नं. 38/ पटवारी हल्का नं. 154 रा.नि.म. शिवपुरी , 473551	प्लॉट	627.32 वर्गमीटर	लगभग 9,50,000 रुपये	स्वयं के नाम पर	27/12/2021 अमृतलाल, सुआलाल, गजराज सिंह कुशवाह	निरक	उक्त प्लॉट पैतृकि कृषि भूमि की फसल बचकर एकत्रिक की गई राशि से दिनांक 27/12/2021 को क्रय की गई
मध्यप्रदेश, ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर, शहरी संपत्ति, ग्वालियर, वार्ड नं. 62 पटवारी हल्का नं. 100 ग्राम गिरगांव परगना व जिला ग्वालियर , 474001	प्लॉट	278.81 वर्गमीटर	लगभग 19,10,000 रुपये	स्वयं के नाम पर	09/08/2024 पंकज सिंह चौहान	निरक	उक्त प्लॉट पैतृकि कृषि भूमि की फसल बचकर एकत्रिक की गई राशि से दिनांक 09/08/2024 को क्रय की गई

तारीख : 28/01/2025

हस्ताक्षर तथा नाम :

पद:

विभाग:

Mr. R. K. CHATURVEDI
(310002174)

निरीक्षक नाप-तौल

MP-FOOD-HOD-CONTROLLER
WEIGHTS & MEASURES

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

**ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1059 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।